न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 04/2022

1. कृष्णलाल पुत्र रतनलाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

–सायल

बनाम

1. जगदीश पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मांगीलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. ग्राम पंचायत देईदास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत देईदास तहसील नोहर

––असल गैरसायलान

4. मांगुसिंह पुत्र चन्दसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– तरतीबी गैरसायल

उपस्थितः– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी

श्री सुरेश कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 4

निर्णय दिनांकः– 17/03/2026

प्रार्थी कृष्णलाल पुत्र रतनलाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2021 अनवान जगदीश आदि बनाम मांगुसिंह आदि में प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति, नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022 के विरूद्ध निगरानी पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पंचायत समिति नोहर में अपील बअनवानी जगदीश बनाम मांगुसिंह इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम देईदास के समस्त निवासीगण की और से सामाजिक हित हेतु अपील पेश कर रहे है, जिसके अनुसार ग्राम देईदास के खसरा नं. 238/2 नोहर से रावतसर रोड़ के उत्तर एवं नोहर से ऐलनाबाद रोड़ के पश्चिम दिशा में पौधारोपण किया जा रहा है। खसरा नं. 238/2 खाता संख्या 325 वन विभाग के नाम भूमि है अप्रार्थी संख्या– कृष्णलाल ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके दिनांक 25.07.2021 को निर्माण करने लगा, जिसका हमने विरोध किया तो अप्रार्थी संख्या 3 ने कहा कि उसने यह भूमि प्रार्थी संख्या–1 मांगुसिंह से खरीद की है तथा अप्रार्थी संख्या 1 मांगुसिंह से खरीद की है तथा अप्रार्थी संख्या 1 मांगुसिंह के नाम इस भूमि का पट्टा बना हुआ है, तब हमने उक्त पट्टे की नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दिनाक 25.07.2021 को लेकर पता किया कि अप्रार्थीगण ने मिलीभगत करके पट्टा संख्या 8 मिसल संख्या 9/95–96 दिनांक 06.12.1995 को जरिये, रसीद के 2044.50 रूपये में अवैध व नुमाईशी पट्टा जारी करवाया है। जिसे निरस्त किया जावे उक्त भूमि वन विभाग की भूमि है जिस पर पौधारोपण किया जा रहा है, जो सार्वजनिक उपयोग–उपभोग में काम आती है। यहां पशु चरते है तथा पेड़े पौधो की छांव में पशु बैठते है इससे हमे स्वच्छ हवा आती है। पंचायत को यहां पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था, इससे गांव के लोगो पर विपरित प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह पट्टा निरस्त किया जावे। अपील पेश होने के बाद मिलीभगत करके विधि विरूद्ध हमें बिना सुनवाई किये मनमाने तरीके से अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 07.04.2022 को उत पट्टा खारीज कर दिया, जो निम्न आधारों पर अपास्त योग्य है।

(क) निर्णय दिनांक 07.04.2022 बअदालत मातहत व खिलाफ कानून नियम व वारयात मिसल है तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के खिलाफ है।

(ख) मातहत अदालत ने बिना सिकी विश्लेषण के कतई मनमाना व स्वैच्छाचारिता पूर्ण निर्णय पारित किया है।

(ग) मातहत अदालत ने प्रार्थीगण को बिना सुनवाई किये तथा गलत व खाली नोटिस जारी करके बिना विधिवत प्रक्रिया अपनाये मनमाने तरीके से उक्त निर्णय पारित किया है।

(घ) मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध तरीके से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, जो कि अपीलकृत व्यक्तियों का इससे किसी प्रकार का हित प्रभावित नहीं है तथा वे साधारण लोग है कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है तथा पट्टा वन विभाग का बताते है फिर भी वन विभाग को पक्षकार नहीं बनाया इनके पास पट्टा फर्जी होने का कोई प्रमाण नहीं था, फिर भी राजनैतिक द्वैषता वश पट्टा खारीज किया है, जो निरस्त योग्य है।

(ड़) प्रार्थी सिविल न्यायालय नोहर में कृष्णलाल बनाम संरक्षक मिल संख्या 48/2021 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी की तथा यह आदेश पारित किया कि उक्त प्लॉट वन विभाग में नहीं है, इसलिए निर्धारित प्रक्रिया के बिना बेदखल नहीं किया जावे तथा वन विभाग सर्वे करवाये अगर भूमि वन विभाग की है तो समस्त अतिक्रमियों के साथ ही इस पर कार्यवाही की जावे। उक्त नक्शा पंचायत समिति में पेश करके निर्णय बाबत बताया गया था, फिर भी पंचायत समिति नोहर ने विधि विरूद्ध तरीके से यह पट्टा खारीज किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:03 IST
Reason: SelfAttested

(च) जब पहले से ही सिविल न्यायाल में इस बाबत निर्णय हो चुका था तथा स्थगन जारी था, फिर भी पंचायत समिति ने सिविल न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जाकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

सुनवाई किये बिना तथा बिना अधिकार क्षेत्र के उक्त निर्णय पारित किया है, जो अपास्त योग्य है।

(छ) उक्त पत्रावली में वन विभाग को पक्षकार ही नहीं बनाया गया जो आवश्यक पक्षकार था तथा बिना ठोस सबूतों के बिना उचित सुनवाई किये तथा पैमाईश किये बिना मौका निरिक्षण के उक्त निर्णय पारित किया है, जो बहुत बड़ी कानूनी भूल है।

(ज) पंचायत समिति ने मौका निरिक्षण के लिए हमें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया ती अपील की सुनवाई बाबत तारीख पेशी का भी नोटिस नहीं दिया, जो कि नोटिस जारी किये गये उनमें तारीख पेशी अंकित नहीं की बिना विधि प्रक्रिया के अपनाये राजनैतिक दवाब से पट्टा खारीज किया है, जो खारीज योग्य हैं।

(झ) प्रार्थी ने उक्त पट्टा जरिये इकरारमाना खरीदशुदा है तथा जिस पर पुराने समय से ही मांगुसिंह ने मकान बना रखे है तथा पानी बिजली के कनैक्शन ले रखे है प्रार्थी यहां निवास कर रहा है इन सभी तथ्यों पर मातहत अदालत ने कतई गौर नहीं किया।

(ण) प्रार्थी की तरफ से सिविल न्यायालय में दावा पहले से ही चल रहा था जिसकी सूचना देने के बावजूद भी उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

(ट) उक्त पट्टा 1996 में बनाया गया जिसका ज्ञान अपीलकर्ता को शुरू से ही था इसलिए अपील अन्दर मियाद नहीं है, जिसे अपील पेश करने का कोई ठोस अधिकार नहीं है।

(ड) निगरानी काबिज समाअदालत है तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

(ढ) अप्रार्थी ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके की उक्त भूखण्ड खसरा नं. 238/2 में है जबकि हमारा यह भूखण्ड आबादी के बीच में है तथा हमारे इस भूखण्ड के आस–पास घनी आबादी है तथा यह भूखण्ड आबादी में स्थित है इसलिए बिना पैमाईश यह कहना गलत है कि यह भूमि वन विभाग की है फिर भी मातहत अदालत ने बिना पैमाईश किये पट्टा खारीज किया है, जो हमारे हितो के खिलाफ है।

लिहाजा यह निगरानी पेश करके निवेदन है कि निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 07.04.2022 खारीज किया जावे व दिनांक 05.04.1996 को बहाल किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:05 IST
Reason: SelfAttested

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या– 1, 4 की ओर से श्री सुरेश कुमार एडवोकेट द्वारा वकालतनामा मय राजीनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या–02 रजिस्ट्रर्ड डाक से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी संख्या–02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या –03 रजिस्ट्रर्ड डाक से तामिल होनें बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया हमारा भूखण्ड आबादी के मध्य स्थित है। भूखण्ड के चारों ओर घनी आबादी बसी हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पैमाईस के आबादी में स्थित भूखण्ड को वन विभाग की मानकर पट्टा दिनांक 05.04.1996 को खारिज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में वन विभाग को पक्षकार ही नहीं बनाया गया। यदि भूखण्ड की भूमि वन विभाग की है तो बिना वन विभाग को पक्षकार बनाये अपील का निर्णय करना अधीनस्थ न्यायालय की त्रुटि है। अतः प्रार्थी/निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1, 4 द्वारा कथन किया निगरानी स्वीकार की जाती है तो कोई आपति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली पर का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पैमाईस करवाये ही केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए प्रार्थी का दिनांक 05.04.1996 को जारी पट्टा खारिज कर दिया गया जो उचित नहीं है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022 को अपास्त किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 17/3/26 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:05 IST
Reason: SelfAttested